प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव, / अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसियेशन
आई0एम0ए0 आगरा। आगरा

पत्रांक–मु0चि0अ0 / सड़क सुरक्षा / 2020 965 दिनांक 29 जनवरी,2020

विषय– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में गोल्डन आवर में सरकारी अस्पतालों एवं निजी चिकित्सालयों में तत्काल चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–1 के पत्र संख्याः 880 / पांच–1 / 2019 दिनांक 11.06.2019 के कम में पूर्व में भी उक्त की प्रति आपको उपलब्ध करायी जा. चुकी है। जिसके अन्तर्गत जनपद में दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को स्वैच्छिक मदद प्रदान करने वाले व्यक्तियों (गुड सेमेरटियन) के रक्षार्थ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.05.2015, 21.01.2016, 09.09.2016 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में दुर्घनाओं में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एवं घायल व्यक्ति को उचार केन्द्र तक पहुंचाने वाले नेक आदमी (गुड सेमेरटियन) को अनावश्यक परेशान न किया जाना सम्मिलित है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में गोल्डन आवर के समुचित उपयोग हेतु भारत सरकार नई दिल्ली की विज्ञप्ति दिनांक 24.08.2015 एवं 12.05.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की छायाप्रतियां संलग्न है। उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।

2– सचिव,जिला सड़क सुरक्षा समिति / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आगरा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा